



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

वेबसाइट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या : हि.अ./ति.प्र.रि./संगठन/विजा. एवं प्रचार/वॉल-11/

सेवा में,

निदेशक, पीडीयूएनएसएस,

अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त, मुख्यालय (प्रचार),

सभी जोनल कार्यालयों के प्रभारी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त,

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त

दिनांक: 09.08.17

18 AUG 2017

विषय: मंत्रालयों / विभागों द्वारा दिए जाने वाले हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

महोदया/ महोदय,

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में की गई संस्तुति पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश, जो कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्राप्त हुए हैं; की प्रतिलिपि एतद्वारा संलग्न है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त पत्र में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित करें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाए।

भवदीय,

अनुलग्नक : यथोपरि

(के.एल. गोयल)

अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त / प्रभारी राजभाषा

20012/01/2017-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

घोंथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक : 30 जून 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये जाने वाले हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के संकल्प सं० 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) दिनांक 31.03.2017 का अवलोकन करें, जो संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश के खंड 9 में की गई 117 संस्तुतियों पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश के संबंध में है।

2. संस्तुति सं० 88 मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में है जिस पर राष्ट्रपति जी के आदेश इस प्रकार हैं -

सं	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती हैं की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

3. अतः केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों से अपेक्षित है की विज्ञापन संबंधी उपर्युक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।

(संदीप आर्य)

निदेशक (कार्यान्वयन)

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन), सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग

पुनर्वितरित